न्यायालय तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र स्वामी

प्रकरण संख्या 08/2024

प्रार्थी :-श्री गोविन्द पिता कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राज.भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 15.05.2024

प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री गोविन्द पिता कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2024 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि मुझ प्रार्थी की दादी मां सुन्दरबाई सेवक की सगी बहिन गीताबाई पिता नारायणलाल सेवक निवासी बेगूँ के नाम की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजियात मौजा ग्राम बेगूँ पटवार हल्का बेगूँ मे स्थित है जिसके आराजी संख्या 298 रकबा 0.2100 है.,आराजी संख्या 305 रकबा 0.2350 है. कुल किता 02 रकबा 0.4450 है. है। गीताबाई के कोई जाईन्दा संतान नही होने से गीताबाई द्वारा दिनांक 20.10.2016 को एक पंजीकृत वसीयतनामा प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित करवाया गया। गीताबाई का दिनांक 25.09.2022 को निधन हो चुका है। उक्त वर्णित आराजियात पर वर्तमान मे मेरा कब्जा काश्त है।इसलिये वसीयतनामा के आधार पर मुझ प्रार्थी के नाम वसीयत अनुसार नामान्तरण खोला जावे।

प्रार्थना पत्र की जाँच पटवार हल्का बेगूँ से करवाई गई । ।पटवार हल्का बेगूँ द्वारा दिनांक 10.06.2024 को इस संबंध मे जाँच कर मौका पर्चा व रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की । पटवार हल्का बेगूँ अनुसार गीताबाई का वारिसान सजरा निम्नानुसार है।

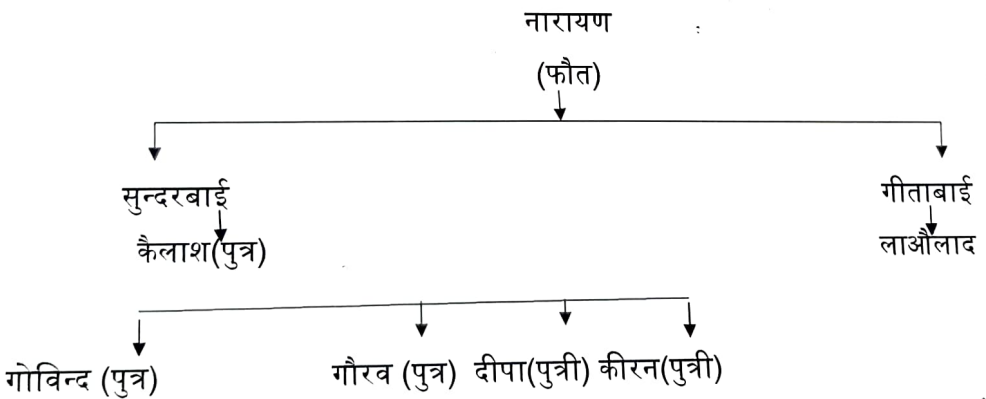

पटवार हल्का बेगूँ अनुसार गीताबाई ने अपने बहिन सुन्दरबाई के पोते गोविन्द के पक्ष मे पंजीकृत वसीयतनामा लिखवाया था। गीताबाई की शादी हुई पर वह कभी ससुराल नही गई थी। गीताबाई की सेवा चाकरी गोविन्द द्वारा की गई उक्त [illegible] अधिक होकर अन्य कोई वसीयतनामा नही लिखवाया गया था।

प्रकरण दिनांक 13.03.02024 को भू.रा.अधि. 195[illegible] 135(2) के तहत दर्ज किया जा कर संबंधित पक्षकारान व गवाहान को जरिये नोटिस तलब किया गया।संबंधित पक्षकारान गवाहान द्वारा साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किये गये।गवाहान [illegible]मलाल पिता दलीचन्द [illegible] निवासी बेगूँ व शंकरलाल पिता घीसूलाल माली निवासी बेगूँ द्वारा द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार गीताबाई द्वारा गोविन्द के पक्ष मे दिनांक 20.10.2016 को पंजीकृत वसीयत की गई थी।जिस पर गवाहान द्वारा साख स्वरूप गीताबाई के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। गीतादेवी का दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmendra Swami.
Date: 2024.05.27 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested

25.09.2022 को स्वर्गवास हो चुका है। गीताबाई द्वारा की गई वसीयत मे वर्णित भूमि पर वर्तमान मे गोविन्द का कब्जा होकर एकमात्र मालिक है। उक्त वसीयत अंतिम है। इसी प्रकार पक्षकारान दीपा पिता कैलाश,किरण पिता कैलाश,गौरव पिता कैलाश शर्मा निवासी बेगूं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार भी गीताबाई द्वारा गोविन्द के पक्ष मे दिनांक 20.10.2016 को पंजीकृत वसीयत की गई थी।गीताबाई की सेवाश्रुसेवा गोविन्द द्वारा की गई थीइसी कारण गीताबाई द्वारा मेरे भाई गोविन्द के पक्ष मे पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित करवाया गया था। गीताबाई की समस्त चल अचल सम्पति पर हमारे भाई गोविन्द का कब्जा होकर गोविन्द के नाम उक्त सम्पति किये जाने मे हमे कोई आपत्ति नही है।उक्त वसीयत अंतिम होकर अन्य कोई वसीयत गीताबाई द्वारा निष्पादित नही की गई है।

वसीयतग्रहिता गोविन्द द्वारा भी गीताबाई द्वारा उसके पक्ष मे वसीयत कीया जाना व गीतादेवी की सम्पति का एकमात्र मालिक होकर काबिज होना तथा उक्त वसीयत के अंतिम होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त वसीयत के संबंध मे आपत्तियो के आमंत्रण हेतु दिनांक 16.04.2024 को आम सूचना प्रकाशित करवा आपत्तिया आमंत्रित की गई। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने उपरान्त भी किसी प्रकार का उज्र/एतराज न्यायालय हाजा के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नही किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ,पटवार हल्का बेगूँ की रिपोर्ट तथा पर्चा मौका संबंधित पक्षकारो व गवाहो के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथपत्र व दस्तावेजो के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हुं कि श्रीमती गीताबाई पिता नारायणलाल सेवक निवासी बेगूँ की दिनांक 25.09.2022 को मृत्यु हो चुकी है।गीताबाई द्वारा अपनी बहिन के पोते गोविन्द पिता कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी बेगूँ के पक्ष मे दिनांक 20.10.2016 को पंजीकृत वसीयत की थी।

अत: पंजीकृत वसीयत अनुसार श्रीमती गीताबाई पिता नारायणलाल सेवक निवासी बेगूँ के नाम ग्राम बेगूँ मे दर्ज कृषी भूमि भूमि आराजी संख्या 298 रकबा 0.2100 है.,आराजी संख्या 305 रकबा 0.2350 है. कुल किता 02 रकबा 0.4450 है.भूमि श्री गोविन्द पिता कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी बेगूँ के नाम दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एंव दाखिल दफ्तर हो निर्णय की प्रति पटवार हल्का बेगूँ को पालनार्थ भेजी जावे।

सहायक कलेक्टर (भू.अ.)
बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmendra Swami
Date: 2024.05.27 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested